न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा **आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. नंबर :- **Reg.Cri.Case/172/2023**
सी एन आर नंबर :- **RJBD140003222023**

निर्णय दिनांकः- 27.03.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 106/2023 अन्तर्गत धारा 341, 323, 452, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**1. कान्हा उर्फ कन्हैयालाल** पुत्र रामपाल गुर्जर उम्र 37 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 **2. राकेश** पुत्र रामपाल गुर्जर उम्र 30 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 **3. रामपाल** पुत्र मोडूलाल गुर्जर उम्र 79 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 **4. सीमा** पत्नी कान्हा उर्फ कन्हैयालाल गुर्जर उम्र 34 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री आरिफ अली, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	09.06.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	09.06.2023
आरोप पत्र की तिथि	22.09.2023
आरोप के विरचना की तिथि	22.09.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	07.10.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	27.03.2026
निर्णय की तिथि	27.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**कान्हा उर्फ कन्हैयालाल**	-	-	धारा 341, 323, 452, 504, 34	**दोषमुक्ति**	-	-

				भा.दं.सं. 1860			
2.	**राकेश**	-	-	धारा 341, 323, 452, 504, 34 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-
3.	**रामपाल**	-	-	धारा 341, 323, 452, 504, 34 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-
4.	**सीमा**	-	-	धारा 341, 323, 452, 504, 34 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	छोटूलाल	एफआईआर साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	धोला बाई	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-3	मोनिका	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-4	मनोहर	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	शिवराज	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	रामचरण	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	मोरपाल	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-8	बृजेन्द्र सिंह	अनुसंधान साक्षी
अभियोजन साक्षी-9	डॉ बाबूलाल	इंजरी साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	रिपोर्ट	अभि. साक्षी–1
2.	प्रदर्श पी-2	चाक एफआईआर	अभि. साक्षी–1
3.	प्रदर्श पी-3	नक्शामौका	अभि. साक्षी–1, 5, 7
4.	प्रदर्श पी-4	चोट प्रतिवेदन	अभि. साक्षी–9
5.	प्रदर्श पी-5	चोट प्रतिवेदन	अभि. साक्षी–9

6.	प्रदर्श पी-6	एल्कोहॉल रिपोर्ट	अभि. साक्षी–9

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव प्रार्थी छोटूलाल द्वारा थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होकर एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 106/2023 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 452, 504 34 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि दिनांक 09.06.2023 को समय करीब दिन के 01.00 बजे प्रार्थी छोटूलाल का पुत्र रामचरण अपने पुराने से घर से नये घर पर आ रहा था तब उसको जान से खत्म करने के इरादे से रामपाल पुत्र मोडू, खानजी पुत्र रामपाल, राकेश पुत्र रामपाल, बनवारी पुत्र श्योजी, तोलाबाई पत्नी श्योजी एकराय होकर मारने पर आमदा हुए जिसपर मेरा पुत्र बचने के लिए घर के अन्दर भागकर आया जिस पर उक्त सभी जबरन से मेरे घर के अन्दर आ गये। जिसमें बनवारी के हाथ में कुल्हाड़ी, खानजी के हाथ में लठ, सीमा के हाथ पाईप, रामपाल के पास धारीया था और मारपीट करने लगे। जिस पर खानजी ने लठ से मेरे सिर पर वार किया जिससे मेरे सिर पर गम्भीर चोट लगी और जब मेरी पत्नी धोलाबाई बचाने आयी तो सीमाबाई ने मेरी पत्नी को मारा जिससे मेरी पत्नी के पीठ व पेट में चोट लगी और हमने अपने आपको कमरे में बन्द कर अपनी जान बचायी अन्यथा जान से खत्म कर देते घर के बाहर का गेट तोड दिया और धमकी दी है कि आज तो बच गये आगे तुम्हे कौन बचायेगा

और उक्त मौके पर किसी भी प्रकार की वारदात कर बडी घटना कारीत कर सकते है...इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 106/2023 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 452, 504 34 भा0दं0सं0 में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 452, 504 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 छोटूलाल, पी.ड02 धोला बाई, पी.ड03 मोनिका, पी.ड04 मनोहर, पी.ड05 शिवराज, पी.ड.06 रामचरण, पी.ड.07 मोरपाल, पी.ड.08 बृजेन्द्र सिंह, पी.ड.09 डॉ बाबूलाल को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.04 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्तगण ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्तगण के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 09.06.2023 को समय करीब 01.00 पीएम या उसके लगभग वाके मौजा ग्राम देवपुरा में स्थित फरियादी के मकान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी छोटूलाल को वांछित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा फरियादी छोटूलाल व उसकी पत्नी धोलाबाई के साथ पाईप, लठ व कुल्हाडी धारीया से मारपीट कर उपहतियां कारित की तथा मारपीट करने के आशय से मारपीट करने की तैयारी कर फरियादी के घर में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया एवं फरियादीगण के साथ गाली–गलौच कर लोकशांति भंग करने का अपराध कारित किया?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 छोटूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीबन डेढ साल पहले मेरे मकान के अंदर मै और पत्नी और मेरी बच्ची मोनिका थे। उस दिन कन्हैयालाल, तोला, बबलू, बनवारी, रामपाल, सीमा, राकेश आदि आये और मेरे घर के अंदर घुस गये और हमारे साथ मारपीट की। मुलजिमान के हाथ में लकडियां थी। मेरे कन्हैयालाल ने पम्पी की सिर पर मारी थी। मेरी पत्नी के धोला बाई बगल में चोट आयी थी। घ ाटना की रिपोर्ट मेन थाने में दर्ज करवायी थी जो प्रदर्श पी.01 है जिस पर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.02 है जिस पर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है। पुलिस ने मेरी चोटों का डॉक्टरी मुआयना करवाया था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 मेरे सामने बनाया था जिस पर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 धोला बाई ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीबन डेढ साल पहले मेरे मकान के अंदर मै और मेरा पति छोटूलाल और मेरी बच्ची मोनिका थे। उस दिन कन्हैयालाल, तोला, बबलू, बनवारी, रामपाल, सीमा, राकेश आदि आये और मेरे घर के अंदर घुस गयी और हमारे साथ मारपीट की। मुलजिमान हाथ लकडियां, पाइप थी। मेरे पति के कन्हैयालाल ने पम्पी की सिर पर मारी थी। मेरे कन्हैयालाल व रामपाल ने मारी

थी जिससे मेरे बगल में चोट आयी थी। उस समय मेरी बेटी मोनिका मेरी घर पर ही थी। मुलजिमान हमको धमकी देकर गये थे कि तुम को गांव में नही रहने देंगे। पुलिस ने मेरी चोटों का डॉक्टरी मुआयना करवाया था।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 मोनिका ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह करीब दो–ढाई साल पहले की दिन के ढाई बजे की बात है। हमारे दो मकान है, एक में मेरा भाई हंसराज दूसरे में मेरी मम्मी–पापा रहते हैं। मैं मेरा भाई रामचरण हंसराज के मकान से मेरे मम्मी–पापा के मकान में जा रहे थे। रास्ते में मुझे सीमा मिली। जिसने मुझे मारने के लिए पत्थर उठा लिए। मैंने छुडाया तो बारहकुटा करने लगी। फिर इनके सारे घरवाले रामपाल, राकेश, कन्हैयालाल, बनवारी, सीमा वहां आ गये फिर हमारे मकान में घुस गये फिर मेरे व मेरे भाई रामचरण के साथ में मारपीट करी। इन लोगों के हाथ में लाठी–डण्डे थे। इन लोगों ने बिना कारण ही हमारे साथ मारपीट करी।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 मनोहर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह आज से करीब दो साल पूर्व की बात है। दिन के दो–ढाई बजे की बात है। मेरा जेठ रामचरण जो दूसरे घर मे रहता है, हमारे घ ार आ गया था। सीमा रास्ते में उसके साथ पत्थर से मारपीट करने लग गयी, जिस पर रामचरण भागकर हमारे घर में घुस गया। सीमा, कन्हैया, रामपाल, राकेश लकडी, पम्पी, धारया, लेकर हमारे घर पर मारपीट करने आ गये थे। कन्हैया ने मेरे ससुर छोटूलाल के सिर पर पम्पी की मारी, सीमा ने मेरी सास धौलाबाई के साथ लकडी से मारपीट की। मेरी ननद मोनिका ने बीच–बचाव कराया था। इन लोगों ने मारपीट हमारे घर पर ही करी थी। सीमा ने मेरे जेठ के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था, इन लोगों का कहना था कि हम लोग रामचरण को गांव में नहीं आने देगे। इसी बात को लेकर मारपीट हुई थी।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.05 शिवराज ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी.03 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। यह नक्शामौका करीब दो साल पहले छोटूलाल व कन्हैयावगै. के लडाई झगडे के संबध में छोटूलाल के घर पर मेरे सामने बनाया था।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 रामचरण ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि देवपुरा का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी घर गृहस्थी की बातो को लेकर मुझे छोडकर चली गयी। साल 2023 में राखी के आसपास की बात है। मै राखी पर गांव आया था, दिन 1–2 बजे की बात है, मै मेरी बहिन मोनिका और मेरे पिता दूसरे मकान जो ठाकुरजी के मंदिर के पासवाली गली से घर जा रहे थे। मैं अपनी मोटरसाईकिल लेकर रास्ते में खडा था, तब ही सीमा गाव की तरफ से आ रही थी, मैने उससे पूछा कि तुने मेरे मुकदमें में गवाही दे दी क्या, इतने में सीमा ने पत्थर उठाकर मारने के लिए तैयार हो गयी तब मैने उसके हाथ से पत्थर छूडाकर फेंक दिया तथा मैं अपने घर की तरफ भाग गया, थोडी देर बाद सीमा, रामपाल, कान्हा, राकेश आये इनके हाथों में लकडी व लोहे के पाईप थे। ये लोग हमारे घर के अंदर घुसकर गाली–गलौच करने लगे। कान्हाउर्फ कन्हैयालाल ने मेरे पिता के सिर में मारी, मेरी मां के लाठी से मारी थी। सीमा ने मोनिका को नीचे पटक कर लकडी से मारा था, सभी लोग मेरे व मेरे पिता से लात–घूसों से मारपीट करने लग गये। तब ही मै वहा से भग गया, वहा पर बहुत सारे लोग इकठ्ठा हो गये थे। मेरे पिता के सिर व कूल्हो पर तथा बाये हाथ में चोट आयी थी।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 मोरपाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीब 2–3 साल पहले देवपुरा में पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के द्वारा छोटूलाल के घर पर मौका मुआयना किया था। नक्शामौका प्रदर्श पी.03 है जिस पर वाई स्थान पर मेरा अगूंठा निशानी है। पुलिसवालो ने लडाई झगडे के मामले में मौका मुआयना किया था।

16. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.08 बृजेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 09.06.2023 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में हैडकानि447 के पद पर कार्यरत था। उस दिन आई.सी थाना श्रीबाबूलाल ए.एस. आई के द्वारा मुकदमा संख्या 106/2023 अर्न्तगत धारा 143,323,452, भा.द.स. की पत्रावली अनुसंधान हेतु मुझे सुपुर्द की गयी। मजरूबा धौलाबाई, छोटूलाल, का मेडिकल मुआयना करवाया तथा रामचरण का एल्कोहल बाबत मेडिकल कराया गया। दौराने अनुसंधान गवाहान छोटूलाल, रामचरण, धौलाबाई, मोनिका, मनोहरबाई, श्योराज, देवकरण, सुरजन के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान सीमा, कान्हा उर्फ कन्हैयालाल, राकेश, रामपाल के

विरूद्ध धारा 343,323,452,34 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित पाया गया। बाद अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की गयी।

17. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.09 डॉ बाबूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 09.06.2023 को मैं पीएसची सुमेरगंजमण्डी में एमएलओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन मजरूबा धोलाबाई पत्नी छोटूलाल उम्र 52 साल निवासी देवपुरा के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया। जिसके बाये कंधे और भुजा पर दर्द व सूजन थी जो साधारण प्रकृति की होकर कुन्द हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.04 पर ए से बी हस्ताक्षर होकर सी से डी मजरूबा का पहचान चिन्ह है।

18. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना था कि क्या फरियादी छोटूलाल व उसकी पत्नी धोला बाई को साधारण उपहति कारित हुई है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.09 डॉ0 बाबूलाल यादव को एमएलओ के रूप में परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने कथन किया है कि मजरूबा धोलाबाई पत्नी छोटूलाल उम्र 52 साल निवासी देवपुरा के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया। जिसके बाये कंधे और भुजा पर दर्द व सूजन दो गुना दो सेमी. थी जो साधारण प्रकृति की होकर कुन्द हथियार से कारित थी। उसी दिन मजरूब छोटूलाल पुत्र भुरा के शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल मुआयना किया। जिसके ऑक्सीपीटल बॉन पर कटा हुआ घाव एक गुना 0.5 सेमी था। उक्त चोट साधारण प्रकृति की होकर कुन्द हथियार से कारित होना पायी एवं उसी दिन रामचरण पुत्र छोटूलाल का एल्कोहॉल बाबत मेडिकल मुआयना किया गया। रामचरण ने एल्कोहॉल का सेवन कर रखा था किन्तु वो होश में था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.04 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कराये जाने के संबंध में कथन किया है। अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है कि क्यों उक्त चिकित्सा अधिकारी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जाना चाहिए। ऐसे में चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई साक्ष्य पूर्ण रूप से अखण्डनीय रही है। अत : चिकित्सा अधिकारी की राय के आधार पर यह प्रमाणित है कि फरियादी छोटूलाल

व उसकी पत्नी धोला बाई को अभियुक्तगण द्वारा कुन्द हथियार से साधारण उपहति कारित की गई है।

19. अब न्यायालय को यह देखना था कि क्या उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा ही आहतगण के साथ मारपीट करके कारित की गई है। इस संबंध में फरियादी की ओर से पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उनके द्वारा फरियादी के पुत्र रामचरण को घर पर जाते वक्त सभी एकराय होकर फरियादी के घर में घुसकर उसके परिवार के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से कथन कर रखा है। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 फरियादी की ओर से दिनांक 09.06.2023 को ही दर्ज करवायी गई है एवं **उक्त दिनांक को ही फरियादी के पुत्र रामचरण के विरुद्ध एक एफआईआर संख्या 105/2023 अभियुक्ता सीमा की ओर से दर्ज करवायी गई है। आहता पी.ड.02 धोलाबाई ने जिरह में कथन किया है कि दिनांक 09.06.2023 व 10.06.2023 को क्या हुआ था इसके बारे में मैं नहीं जानती हूं।** पी.ड.03 मोनिका ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि सीमा के साथ मेरे भाई रामचरण ने बलात्कार किया हो इससे हमारे पुरानी रंजिश है। मेरा भाई ड्राईवर है। यह कहना सही है कि जमानत होने के बाद मेरा भाई ड्राईवरी करने चला गया था। यह कहना गलत है कि हमारे बीच में झगडा नहीं हुआ हो इसलिए किसी ने बीच–बचाव नहीं कराया हो। **पी.ड.04 ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि सीमा रामचरण के विरुद्ध छेडछाड का मुकदमा दर्ज नहीं करती तो यह मुकदमा दर्ज नहीं होता।** रामचरण मेरा जेठ लगता है। मैं अपने जेठ रामचरण को बचाना चाहती हूं। इसलिए बयान देने आयी हूं एवं फरियादी के पुत्र रामचरण पी.ड.06 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैंने उससे पूछा कि तुने मेरे मुकदमे में गवाही दे दी क्या, इतने में सीमा ने पत्थर उठाकर मारने के लिए तैयार हो गयी तब मैंने उसके हाथ से पत्थर छूडाकर फेंक दिया तथा मैं अपने घर की तरफ भाग गया एवं जिरह में कथन किया है कि पुलिस वालो ने मेरे बयान नहीं लिये थे। सीमा मेरी कुछ भी नहीं लगती है। लड़ाई झगड़ा हुआ तब मैं वहीं था। घटना के वक्त मैं घर के अंदर बैठा हुआ था।

20. ऐसे में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों में पी.ड.06 जो कि स्वयं फरियादी का पुत्र है, उसने स्वयं ने अभियुक्ता सीमा से मुकदमे में गवाही देने के संबंध में कथन करने पर उसके द्वारा पत्थर उठाकर मारने को तैयार होने पर उसके हाथ से पत्थर फेंकने के तथ्य को स्वीकार किया है व पी.ड.04 जो कि अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह परीक्षित हुई है, वह स्वयं कथन कर रही है कि यह कहना सही है कि सीमा रामचरण के विरुद्ध छेडछाड का मुकदमा दर्ज नहीं करती तो यह मुकदमा दर्ज नहीं होता। रामचरण मेरा जेठ लगता है व पी.ड.03 जो कि फरियादी रामचरण की बहन है, वह जिरह में कथन कर रही है कि यह कहना सही है कि सीमा के साथ मेरे भाई रामचरण ने बलात्कार किया हो, इससे हमारे पुरानी रंजिश है व पी.ड.01 छोटूलाल ने कथन किया है कि सीमा के द्वारा रामचरण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा रखने के संबंध में कथन कर रहा है व उक्त गवाहों के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश करके परीक्षित नहीं करवाया गया है जो गवाह परीक्षित हुए हैं वे सभी एक ही परिवार के सदस्य है जो कि सभी हितबद्ध साक्षी है। यदि फरियादीगण के साथ अभियुक्तगण द्वारा रास्ते में या उसके पश्चात अभियुक्तगण द्वारा उनके घर में घ ुसकर मारपीट की जाती तो अवश्य ही आस–पडोस के किसी व्यक्ति द्वारा देखा या सुना गया होता लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से इस संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी को पेश करके परीक्षित नहीं कराया है। गवाह पी.ड.09 की साक्ष्य का यदि अवलोकन किया जावे तो मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 में मजरूबा धोलाबाई के शरीर पर आयी चोटों में बाये कन्धे व भुजा पर दर्द व मात्र सूजन थी एवं छोटूलाल के मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.ड.05 के अनुसार उसके शरीर पर 1.05 सेमी का कटा हुआ घाव जो कि साधारण प्रकृति का होना बताया है। जबकि फरियादीगण अभियुक्तगण के द्वारा लकड़ियों व पत्थरों से मारपीट किए जाने का कथन कर रहे हैं। ऐसे में यदि उनके साथ लकड़ियों व पत्थर से मारपीट की जाती तो अवश्य ही इतनी साधारण चोट आना प्रथमदृष्टया जाहिर नहीं होता है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह परीक्षित हुए हैं, उनकी जिरह से प्रथमदृष्टया यही प्रतीत होता है कि अभियुक्ता सीमा के द्वारा फरियादी के पुत्र रामचरण के विरुद्ध पूर्व में मुकदमा दर्ज करवा रखा है, उसी के चलते हस्तगत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे उक्त अपराध साबित करने में विफल रहा है।

21. अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 452, 504 34 भा.दं.सं. में अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 09.06.2023 को समय करीब 01.00 पीएम या उसके लगभग वाके मौजा ग्राम देवपुरा में स्थित फरियादी के मकान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी छोटूलाल को वांछित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा फरियादी छोटूलाल व उसकी पत्नी धोलाबाई के साथ पाईप, लठ व कुल्हाडी धारीया से मारपीट कर उपहतियां कारित की तथा मारपीट करने के आशय से मारपीट करने की तैयारी कर फरियादी के घर में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया एवं फरियादीगण के साथ गाली–गलौच कर लोकशांति भंग करने का अपराध कारित किया। अतः अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 452, 504 34 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

22. परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण 1. कान्हा उर्फ कन्हैयालाल** पुत्र रामपाल गुर्जर उम्र 37 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 **2. राकेश** पुत्र रामपाल गुर्जर उम्र 30 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 **3. रामपाल** पुत्र मोडूलाल गुर्जर उम्र 79 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 **4. सीमा** पत्नी कान्हा उर्फ कन्हैयालाल गुर्जर उम्र 34 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 452, 504 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

23. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करें।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

24. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़